संख्या: 37 /2016/2643 /12-2-2016-309/2007

प्रेषक,

रजनीश गुप्ता,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

कृषि अनुभाग-2 लखनऊ: दिनांक: 28 सितम्बर, 2016

विषय: प्रदेश की प्रमुख फसलों की उत्पादकता के आंकलन हेतु आयोजित कराये जा रहे फसल कटाई प्रयोगों की कटाई स्तर पर जांच एवं फसल कटाई प्रयोगों के सम्पादन की प्रक्रिया का अवलोकन किए जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कृपया शासनादेश संख्या: 29/2016/2304/12-2-2016-309/2007 दिनांक 31 अगस्त, 2016(प्रति संलग्न) का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसके द्वारा प्रदेश की प्रमुख फसलों की उत्पादकता के आंकलन हेतु आयोजित कराये जा रहे फसल कटाई प्रयोगों की कटाई स्तर पर जांच एवं फसल कटाई प्रयोगों के सम्पादन हेतु जनपद स्तर पर निम्नलिखित कार्यवाही सुनिश्चित कराने के निर्देश दिये गये हैं:-

(1) फसल कटाई प्रयोगों की कटाई स्तर पर जांच की प्रक्रिया को सुदढ किया जाये।

(2) जनपद की अधिकृत बीमा कम्पनी को फसल कटाई प्रयोगों की कटाई स्तर पर अवलोकन एवं संबंधित तालिका, जिसमें फसल कटाई की सूचना राजस्व विभाग के कार्मिक द्वारा अंकित की जाती है, उस तालिका को कम्पनी को सुलभ करा दी जाये।

2. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि खरीफ फसलों की कटाई प्रारम्भ होने के फलस्वरूप फसलों पर फसल कटाई प्रयोगों का आयोजन भी प्रारम्भ हो चुका है। वर्तमान में संचालित प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा फसल कटाई प्रयोगों की गुणवत्ता के साथ ही साथ इन प्रयोगों की पारदर्शिता व विश्वसनीयता सुनिश्चित कराये जाने हेतु जनपद स्तर पर अधिकृत बीमा कम्पनी को फसल कटाई प्रयोगों के अवलोकन के निर्देश दिये गये हैं ताकि फसल कटाई प्रयोगों का कटाई स्तर पर बीमा कम्पनी के अधिकारियों द्वारा मौके पर उपस्थित होते हुए इन प्रयोगों के सम्पादन एवं कटाई प्रयोगों के आंकडों की सुतथ्यता की पुष्टि की जा सके। इस प्रक्रिया से फसल कटाई प्रयोगों के सम्पादन तथा इससे

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

प्राप्त आंकडों की विश्वसनीयता सुनिश्चित हो सकेगी तथा बीमा कम्पनी द्वारा इन आंकडों को उपयोग में लाते हुए बीमित कृषकों को फसल बीमा योजना के अन्तर्गत नियमानुसार समय से क्षतिपूर्ति का भुगतान सुनिश्चित किया जा सकेगा।

2. अतः अनुरोध है कि कृपया जनपद में फसलों पर आयोजित किए जाने वाले फसल कटाई प्रयोगों से संबंधित पूर्ण विवरण जिलाधिकारी कार्यालय स्तर पर फसल कटाई की निर्धारित तिथि के एक सप्ताह पूर्व जनपद के संबंधित बीमा कम्पनी को अवश्य उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाय ताकि बीमा कम्पनी के अधिकारी द्वारा इन प्राप्त सूचनाओं के आधार पर फसल कटाई प्रयोगों के कटाई स्तर पर अवलोकन सुनिश्चित किया जा सके।

संलग्नकः यथोपरि।

भवदीय,

(रजनीश गुप्ता)
प्रमुख सचिव।

संख्याः 37/2016/2643 (1)/12-2-2016 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. संयुक्त सचिव, भारत सरकार, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, कृषि, सहकारिता व किसान कल्याण विभाग, कृषि भवन, नई दिल्ली।
2. प्रमुख सचिव, राजस्व विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
2. आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
3. कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ को इस अनुरोध के साथ कि उपरोक्त के सम्बन्ध में सभी संयुक्त कृषि निदेशक/उप कृषि निदेशक को आवश्यक कार्यवाही हेतु समुचित निर्देश निर्गत करें।

आज्ञा से,

(अनिल कुमार)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।